राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2715522 E-mail: modelschoolest@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प. / जय / मॉडल स्कूल / संस्थापन / ईसी ऐजेण्डा / 75039 / 18463 दिनांक : 27/1/2021

संस्था प्रधान,
स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय,
समस्त ब्लॉक।

विषयः–मॉडल विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण परीक्षा परिणाम प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश।
संदर्भः–परिषद का पत्रांक–रास्कूशिप. / जय / 1ईसी / 2020–21 / 16535 दिनांक 09.11.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य में संचालित मॉडल विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. मॉडल विद्यालयों में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम शत–प्रतिशत सुनिश्चित किया जावे।
2. सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम में गुणात्मकता सुनिश्चित की जावे।
3. शिक्षक अपने विषय में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए टारगेट बेस्ड योजना बनाकर विद्यार्थी के न्यूनतम 80 प्रतिशत अंक लाना सुनिश्चित करें।
4. मॉडल विद्यालयों में अधिक से अधिक बालिका गार्गी व बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करे ऐसी योजना बनाई जावे।
5. मॉडल विद्यालय के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इन्सपायर्ड अवार्ड मानक योजना व एनएमएमएस छात्रावृति से लाभान्वित करें।
6. जिन शिक्षकों के बोर्ड परीक्षा परिणाम गुणात्मक रूप से निर्धारित मानक के अनुसार नहीं होंगे, उन पर विभागीय कार्यवाही की जावेगी तथा साथ ही मॉडल विद्यालय से मूल विभाग हेतु कार्यमुक्त किया जावेगा।
7. शिक्षक सम्पूर्ण कक्षाओं का पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
8. संस्था प्रधान बोर्ड परीक्षा में विद्यालय का परीक्षा परिणाम गुणात्मक बनाने के लिए साप्ताहिक रूप से शिक्षकों के साथ बैठक कर योजना बनावे उनकी समीक्षा करें।
9. शिक्षक विद्यार्थियों को अधिक से अधिक मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व कराना, उनकी जांच तथा उत्तर पुस्तिकाओं को विद्यार्थियों को दिखाना सुनिश्चित करें।
10. संस्था प्रधान विद्यालय में समय–समय पर सीबीएसई के निर्देशानुसार व पाठ्यक्रम अनुसार टेस्ट लेना सुनिश्चित करें।
11. शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की विषय सम्बन्धी कमजोरियों को समय–समय पर बतावे तथा विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने के लिए निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण को बढावा देवे तथा यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करें।
12. संस्था प्रधान व शिक्षक अभिभावकों को पीटीएम की बैठक में विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि से अवगत करावें तथा मूल्यांकन से सम्बन्धित रिपोर्ट कार्ड भी देवें।
13. शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी का रिकॉर्ड संधारित करना सुनिश्चित करें।
14. संस्था प्रधान व शिक्षक विद्यार्थियों को समय–समय पर परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित निर्देशन व परामर्श देवे तथा साथ ही विद्यालय में विद्यार्थियों को उत्तर लिखने की कला, परीक्षा प्रबन्धन, समय प्रबन्धन, तनाव प्रबन्धन आदि के बारे में अवगत करावें।

संस्था प्रधान व शिक्षक दिशा–निर्देशों की पालना करना सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com

(डॉ. भंवर लाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, रास्कूशिप, जयपुर।
2. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, रास्कूशिप, जयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समसा, सम्बन्धित जिले।
4. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा, सम्बन्धित जिले।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक / प्रारम्भिक), मुख्यालय, सम्बन्धित जिले।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित ब्लॉक।
7. कार्यालय प्रति।

27.1.21
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम